



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)

पत्रांक- 1305 / कर0अनु0/2022-23/ P.B

दिनांक 22-7-22

ई-निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा मुर्गा-मछली-मीट विक्रय शुल्क की निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	मुर्गा-मछली-मीट विक्रय शुल्क	दि० 23-7-22 के 11:00 AM से दि० 30-7-22 के 11:30 AM तक	दि० 30-7-22 के 12:00 PM	कक्ष सं० 13

ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित सूचनायें नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

पत्रांक-1305/ / कर0अनु0/2022-23/ P.B

दिनांक 22-7-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी रुद्रपुर को सूचनार्थ व प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर को सूचनार्थ व प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।
5. सम्पादक दैनिक अमर-उजाला व दैनिक दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 23-7-22 के अंक में सरकारी दरों में/न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियाँ सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें तथा निविदा प्रपत्र नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

इन्द्रजी कुंज, तम्बाकू नदी

मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु वर्ष 2022-23 की शर्त:-

1. मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली का क्षेत्र सम्पूर्ण नगर निगम, क्षेत्र होगा।
2. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रपत्र मु0 1000.00+18: GST सहित कुल रू0 1180.00 प्रति निविदा फार्म होगी जिसका डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के नाम से ऑनलाइन संलग्न करना होगा, उक्त ड्राफ्ट की मूलप्रति निगम कार्यालय में ई-निविदा खुलने से पूर्व जमा करनी होगी।
3. ठेके की अवधि दिनांक- 03.08.2022 से दिनांक -02.08. 2023 तक होगी।
4. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. तकनीकी निविदा के साथ, सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी) द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (रू0 पाँच लाख मात्र), हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र देगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है, पेन कार्ड, आधार कार्ड, GST पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा रू0 नब्बे हजार मूल्य का एफ0 डी0 आर0 बतौर जमानत नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पक्ष में संलग्न करना आवश्यक होगा। ई-निविदा खुलने से पूर्व सभी प्रपत्रों की प्रति नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. ठेका स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को 07 दिवस के भीतर कुल निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जीएसटी धनराशि सहित निगम कोष में जमा करना आवश्यक होगा।
7. ठेके की शेष धनराशि छः माह के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) **POST DATED CHEQUE** नगर निगम कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होंगे जिन्हें किश्त जमा न होने की स्थिति में निगम कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैक का अनादर(चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा।
9. सफल निविदादाता ठेकेदार को मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु लगाये गये कर्मचारियों के नाम व पता फोटो सहित अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि समय-समय पर निगम द्वारा जांच में व्यवधान उत्पन्न न हों, उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क की वसूली किये जाने की सूचना संज्ञान में आने पर ठेकेदार का यह दायित्व व अधिकार होगा कि वह उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करें।
10. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिन के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध गठित करने एवं अनुबन्धके रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, अनुबन्ध गठित किये जाने हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय

सुन्दरी चुनौती, तम्बाकू नहीं

- में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
11. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
 12. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तों के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
 13. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
 14. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासन/नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 15. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर नगर निगम के नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर का निर्णय अन्तिम होगा, तथा न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर होगा।
 16. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली हेतु न्यूनतम निविदा राशि रु0 9,00,000.00 (रु0 नौ लाख मात्र) से कम नहीं होगी।
 17. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली वाली रसीद ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेगी, रसीद की काउण्टर प्रतिपण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी (नगर आयुक्त/सहा0 नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।
 18. स्वीकृत निविदादाता के कर्मचारियों को निम्न सावधानियाँ अपनाया जाना अनिवार्य होगा:-
 - 1 सैनेटाइजर, मास्क, ग्लब्स, फेस शील्ड आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
 - 2 समाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
 - 3 सभी कार्मिक प्राप्त धनराशि को पृथक बैग में रखना सुनिश्चित करेंगे।
 - 4 समय-समय पर साबुन/हैण्डवाश से हाथ धोते रहेंगे।
 19. ठेकेदार को कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि भविष्य में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉक डाउन/आंशिक लाक डाउन जैसे उपायों को अपनाया जाता है जिससे मुर्गा-मछली-मीट विक्रय शुल्क प्रभावित हो, तो जितने दिन इस प्रकार की अवधि रहेगी उतने ही दिन ठेके की अवधि में जोड़ दिये जायेंगे।
 20. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
 21. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रु0 5,000/- (रु0 पाँच हजार मात्र), दूसरी बार में रु0 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका

रजिस्ट्रार धुनों, तस्वीर नहीं

22. ठेका मुर्गा, मछली, मीट का व्यवसाय करने वालों का शुल्क तत्कालीन नगर पालिका रुद्रपुर (वर्तमान नगर निगम) के 4 जुलाई 1998 में प्रकाशित राजकीय गजट में निर्धारित शुल्क के अनुसार है, जिस पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० वसूल किया जा सकता है।

- | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|
| (I) | बकरा/बकरी/भेड़ | रु0 05 प्रति नग |
| (II) | सुअर | रु0 10 प्रति नग |
| (III) | अन्य पशु जिसमें पक्षी भी सम्मिलित है | रु0 02 प्रति नग |

23. ठेका मुर्गा, मछली, मीट विक्रय शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित **Key Dates** निम्नानुसार है:-

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	23-7-22	11.00 AM
2	Documents download start date	23-7-22	11.00 AM
3	Bid submission start date	23-7-22	11.00 AM
4	Bid submission End date	30-7-22	11.30 AM
5	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	30-7-22	11.30 AM
6	Bid Opening Date	30-7-22	12.00 PM

(निशा तिवारी)
कर एवं राजस्व मौहरीर
नगर निगम रुद्रपुर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर

(रजिदेव जायसी)
सहा० नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर

जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं